खंड 1 संख्या 123

राष्ट्र महिला

अक्टूबर 2009 राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा प्रकाशित

सम्पादकीय

केन्द्र सरकार ने एक अत्यंत महत्वपूर्ण निर्णय लिया है कि तीन-स्तरीय पंचायत व्यवस्था में 50% प्रतिशत स्थान महिलाओं के लिए आरक्षित किए जायेंगे। पंचायतों में महिलाओं के स्थान बढ़ाने के लिए संविधान में संशोधन करने का निर्णय लेने के बाद, भारत शायद विश्व का पहला ऐसा देश बन जायेगा जहां कि स्थानीय स्व-शासन में महिलाओं के लिए 50% प्रतिशत स्थान आरक्षित किए गये हैं। इस संशोधन के पारित किए जाने के बाद, भविष्य में 2,52,000 पंचायतों में महिलाओं की संख्या दो लाख हो जायेगी। इस समय 36.87% महिलाएं हैं।

इस प्रस्ताव में ये सभी स्थान शामिल हैं: सीधे निर्वाचन द्वारा भरे जाने वाले स्थान, अध्यक्षों के पद और अनुसूचित जातियों एवं अनुसूचित जनजातियों के लिए आरक्षित स्थान तथा पद। इसके परिणामस्वरूप, अधिक महिलाएं सार्वजनिक क्षेत्र में आयेंगी तथा पंचायती ढ़ांचा अधिक समावेशी बन जायेगा। सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि पंचायतों में इस समय पुरुष-महिला अनुपात जो 67/33 है वह बढ़ कर 50-50 हो जायेगा।

चर्चा में — महिलाओं को पंचायतों में 50 प्रतिशत स्थान

पंचायती राज मंत्रालय द्वारा हाल ही में किए गये एक अध्ययन के अनुसार, महिलाओं को मुख्य धारा में लाने के लिए आरक्षण ने एक अहम भूमिका निभाई है। पंचायतों के निर्वाचनों में चुनी गयी लगभग पाँच में से चार महिलाएं आरक्षित स्थानों से आयी हैं और उनमें से लगभग 83% आरक्षित कोटा के माध्यम से राजनीति में प्रविष्ट हुई हैं।

67% महिलाओं के प्रधान या वार्ड-सदस्य बनने से उन्हें परिवार में अधिक सम्मान प्राप्त हुआ है। चुनी गयी लगभग 66-71% महिलाओं ने कहा कि उनके परिवार के सदस्यों ने उन्हें पैसे तथा सम्पत्ति से संबंधित मामलों में भाग लेने की अनुमति दी। लगभग 64% महिला प्रधानों ने कहा कि स्थानीय प्रशासन से उन्हें अधिक तवज्जह मिली। लगभग 60% ने कहा कि ब्लाक पंचायतों ने उनकी बात पर तुरंत ध्यान दिया।

परन्तु प्रजातांत्रिक प्रक्रिया को और मजबूत करने तथा निर्णय लेने वाली संस्थाओं में उनकी भागीदारी बढ़ाने के लिए यह अत्यन्त आवश्यक है कि एक दशक से भी अधिक से संसद में लंबित महिला आरक्षण विधेयक को पारित किया जाये।

उड़ीसा में बाल विवाहों पर प्रतिबंध

उड़ीसा सरकार ने बाल विवाहों पर लगी रोक का कड़ाई से पालन करने का निर्णय लिया है। संसद द्वारा पारित बाल विवाह निषेध अधिनियम, 2006 को ध्यान में रखते हुए बनाए गये नियमों को राज्य-मंत्रिमंडल ने स्वीकृति दे दी है। इस प्रकार, इस सामाजिक बुराई को प्रोत्साहित करने वाले लोगों के विरुद्ध कानूनी कार्यवाही करने का मार्ग प्रशस्त हो गया है।

उड़ीसा बाल विवाह निषेध नियमों से, राज्य में बाल विवाहों का आयोजन करने वाले या उन्हें प्रोत्साहित करने वाले लोगों के विरुद्ध कदम उठाने में कानून प्रवर्तन अभिकरणों को बहुत सहायता मिलेगी।

नियमों के अनुसार, जो लोग (विशेषकर पुरुष) राज्य में बाल विवाह रचायेंगे वे दो वर्ष तक के कठिन कारावास तथा एक लाख रुपये तक के जुर्माने के भागी होंगे। महिलाओं को केवल जुर्माना देना होगा।

साहस का प्रतीक

असम के हाफलोंग नगर में महिला के साथ कथित छेड़छाड़ करने का एक मामला सामने ही नहीं आता यदि एक लड़की ने फौजियों के एक पूरे ग्रुप को आड़े न लिया होता। फौज का एक जवान उसकी दुकान से वस्त्र खरीदने आया था और उसने लड़की के प्रति अश्लील फबती कसी, यहां तक कि उसे छुआ भी।

राली फेहरीम की हाफलोंग नगर के मध्य में ब्रांडेड कपड़ों की एक दुकान है। सिख रेजिमेंट की आठवीं बटालियन के लांस नायक गुरविन्दर सिंह उसकी दुकान पर वर्दी और शस्त्रों सहित अंडरवियर खरीदने गया। लड़की जब उसे दुकान पर उपलब्ध माल दिखा रही थी तब जवान ने उसके प्रति कुछ अनुचित हरकतें कीं। राली उसे दुकान के बाहर खींच कर ले गयी और सबके सामने उस पर पत्थर फेंक कर मारा। राली के एफ.आई.आर. दर्ज करने के बाद सेना द्वारा इस घटना की जांच की जा रही है।

एकल महिलाओं का राष्ट्रीय मंच

स्वयं को हाशिये से उबारने और अपने अधिकारों की रक्षा करने के लिए, एकल महिलाओं - विधवा, परित्यक्ता, तलाकशुदा तथा अविवाहित - ने मिल कर एक राष्ट्रीय मंच स्थापित किया है।

राजस्थान की महिला अधिकार कार्यकर्ता गिन्नी श्रीवास्तव ने, पांच अन्य राज्यों की महिलाओं के साथ, इस पहल की घोषणा करते हुए अपने जीवन काल में आयी विभिन्न बाधाओं और कठिनाइयों के साथ संघर्ष और सामना करने का विवरण दिया।

चाहे तो वे झारखंड की जनजाति महिलाएं हों जो महिलाओं के लिए जमीन पर बराबरी के अधिकार तथा उत्तराधिकार की मांग करती हों, या महाराष्ट्र की मुस्लिम महिला हो जिसे उसके पति ने जबरन तलाक दे दिया, 14 राज्यों की महिलाओं ने एक झंडे के नीचे एकजुट होकर राशन कार्डों, होस्टल, गृह योजनाओं तथा पेंशन लाभ के लिए केन्द्र सरकार से संघर्ष करने का निर्णय लिया है।

मंच द्वारा उठाए जाने वाले अन्य मुद्दे हैं धर्म या सम्प्रदाय के अनपेक्ष सभी महिलाओं को संपत्ति में बराबर के अधिकार दिया जाना तथा महिलाओं के प्रति होने वाले अत्याचारों को दूर करने के लिए प्रभावी कानून बनाना। राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने कार्यवाही में भाग लिया।

आगंतुकों का स्वागत करते हुए डॉ. गिरिजा व्यास

मेक्सिको के प्रतिनिधि-मंडल का आगमन

विश्व युवा संगठन सम्मेलन, 2010 के मुख्य कॉर्डिनेटर श्री सिसिलिओ गारज़ा राष्ट्रीय महिला आयोग में आये और आयोग के सदस्यों से विचार-विमर्श किया। प्रतिनिधि-मंडल के सदस्यों का स्वागत करते हुए आयोग की अध्यक्षा डॉ. गिरिजा व्यास ने भारत एवं मेक्सिको की समानताओं की चर्चा की। तत्पश्चात् श्री गारज़ा ने विश्व युवा संगठन सम्मेलन 2010 का, जो मेक्सिको में होने वाला है, संक्षिप्त विवरण दिया। उन्होंने बताया कि वर्ष 1985 को संयुक्त राष्ट्र संगठन ने अंतर्राष्ट्रीय युवा वर्ष घोषित किया था और अब उसकी समीक्षा तथा उसे पुर्नजीवित करने का समय आ गया है। इस सम्मेलन का मुख्य एजेंडा होगा युवाओं के लिए एक अधिक एकीकृत, व्यापक तथा संगत एजेंडा तैयार करना।

श्री गारज़ा ने आयोग से समर्थन तथा जानकारी देने का आग्रह किया। डॉ. व्यास ने प्रतिनिधि-मंडल को आश्वासन दिलाया कि आयोग निश्चय ही सकारात्मक दृष्टि अपनायेगा।

आयोग भारत से होने वाले मानव व्यापार की जांच-पड़ताल करेगा

गरीब तथा निस्सहाय लड़कियों को बहका कर उन्हें देह व्यापार में डालने की बढ़ती हुई घटनाओं को देखते हुए राष्ट्रीय महिला आयोग ने उत्तर प्रदेश, गुजरात, राजस्थान तथा दिल्ली के विभिन्न जिलों से होने वाले इस अवैध व्यापार के स्रोतों की जांच-पड़ताल करने के लिए दल निर्मित किए हैं।

एक जांच समिति उत्तर प्रदेश के आजमगढ़ जिले से मध्य-पूर्व के देशों में होने वाले इस कथित महिला व्यापार की छानबीन करेगी जब कि दूसरी समिति राजस्थान के उदयपुर एवं डुंगरपुर जिलों से होकर लायी गयी महिलाओं की गुजरात के रूई के खेतों में हुई कथित रहस्यमय मृत्यु की जांच करेगी।

संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की 2007 की मानव व्यापार संबंधी गत रिपोर्ट में कहा गया है कि भारत में 44% महिलाएं, अधिकतर गरीब, देह व्यापार का शिकार हुईं। इनमें से 43% इस जाल में फंसने से पूर्व नाबालिग थीं।

गुजरात में लगभग 66% महिलाएं, तमिलनाडु में 64%, महाराष्ट्र में 55% तथा उत्तर प्रदेश में 64% महिलाएं इस रिपोर्ट के अनुसार इस दुराचारी चक्र का शिकार बनीं।

आयोग की अध्यक्षा ने संयुक्त राष्ट्र महासभा की बैइक में न्यूयॉर्क में भाग लिया

डॉ. गिरिजा व्यास ने, जो संसद-सदस्य हैं तथा भारतीय संसदीय प्रतिनिधिमंडल की सदस्य भी थीं, न्यूयॉर्क में आयोजित संयुक्त राष्ट्र संघ के 64वें सत्र में गरीबी उन्मूलन तथा अन्य विकास संबंधित मुद्दों पर भाषण दिया।

उन्होंने कहा कि इस समय चल रहे आर्थिक संकट के संदर्भ में, जिसके परिणामस्वरूप हुई भारी बेरोजगारी के कारण लाखों लोग गरीबी की चपेट में आ गये हैं और वर्षों के विकास को खतरा पैदा हो गया है, गरीबी-उन्मूलन की समस्या और भी अपरिहार्य बन गयी है। इसलिए यह आवश्यक है कि संयुक्त राष्ट्र संघ तथा अंतर्राष्ट्रीय समुदाय इस मुद्दे को सर्वोपरि महत्व दें।

इस संदर्भ में उन्होंने उल्लेख किया कि संयुक्त राष्ट्र संघ की यह आश्वस्त करने में अत्यंत महत्वपूर्ण भूमिका है कि विकसित देश विकासशील देशों को बेहतर बाजार उपलब्धि कराने, ऋण राहत देने तथा उचित दरों पर तकनीक हस्तांतरण करने के मामलों में सहायता दें। अर्थव्यवस्था का वैश्वीकरण करने के प्रयासों में वे सर्वांगीण मानव विकास के मुद्दे को अनदेखी न कर दें। विकास के आयामों की प्रमुखता आश्वस्त करने में अंतर्राष्ट्रीय शासन-पद्धति में अधिक लोचनीयता लाये जाने की आवश्यकता है।

विकास में महिलाओं की भूमिका के मुद्दे पर उन्होंने कहा कि लिंग समानता तथा महिला सशक्तिकरण अत्यंत जरूरी है क्योंकि सामाजिक-आर्थिक विकास में इसका गुणित प्रभाव पड़ता है। अतएव स्रोतों तक बेहतर पहुँच में महिलाओं की सक्रिय भागीदारी हो।

डॉ. गिरिजा व्यास ने क्यूबा के विरुद्ध अमेरिकी व्यापारावरोध पर संयुक्त राष्ट्र के दृष्टिकोण का भी समर्थन किया। उन्होंने कहा कि "लगातार गत 17 वर्षों से इस महासभा ने अपने एजेंडे के इस मुद्दे पर विचार करते समय उक्त परा-क्षेत्रीय प्रभाव रखने वाले कानूनों तथा विनियमों को निश्चयात्मक रूप से तथा बहुमत से नामंजूर कर दिया है। दुर्भाग्यवश, लगातार पारित किए जाने वाले इन प्रस्तावों की क्रियान्वित नहीं होती।"

उन्होंने आगे कहा, "क्यूबा पर लगी लगभग पांच दशक पुरानी यह अमेरिकी पाबंदी, अपने परा-प्रादेशिक पहलुओं सहित, चली आ रही है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय की इस पाबंदी-विरोधी सम्मति के साथ हम सहमत हैं।"

● महिलाओं को भरण-पोषण के अतिरिक्त किराए का भी अधिकार

एक नगर न्यायालय ने निर्णय दिया है कि तलाक की अर्जी पर विचार किए जाने के दौरान महिला को प्रदान किए गए भरण-पोषण के अतिरिक्त उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के अंतर्गत मकान का किराया मांगने का भी हक है।

शादीशुदा पुरुष की भले ही कोई सम्पत्ति हो या नहीं और उसका कोई आमदनी का साधन हो या नहीं, उसका यह नैतिक और कानूनी उत्तरदायित्व है कि अपनी अलग हुई पत्नी के लिए व्यवस्था करे।

न्यायालय ने कहा कि उसके लिए व्यवस्था करने का उत्तरदायित्व व्यक्तिगत प्रकृति का है और युगल के बीच विद्यमान संबंधों से उत्पन्न होता है। अपनी पत्नी तथा बच्चों के लिए व्यवस्था करना पति का उत्तरदायित्व है और इस बात पर विश्वास नहीं किया जा सकता कि उसकी आय स्वयं उसके लिए भी नाकाफी है।

न्यायालय ने कहा कि तलाक प्रक्रिया के अनुसरण में, हिन्दू विवाह अधिनियम के अंतर्गत भरण-पोषण दिए जाने का आदेश यदि पत्नी तथा बच्चों को किराए की बात में राहत नहीं देता, तो पत्नी उसके लिए 'घरेलू हिंसा से महिलाओं की संरक्षा अधिनियम' का आहवान कर सकती है।

● बच्चा गोद लेने पर अवकाश सुविधा

सरकार ने निर्णय लिया है कि यदि कोई युगल बच्चा गोद लेता है तो उसे वही सुविधाएं प्रदान की जायेंगी जो प्राकृतिक माता-पिता को मातृत्व और पितृत्व अवकाश के लिए उपलब्ध होती हैं।

महिला कर्मचारी को सरकार 6 मास का मातृत्व अवकाश देगी और पुरुष कर्मचारी को 15 दिन का।

अवकाश के दौरान, गोद लेने वाली महिला कर्मचारी को उतना ही वेतन मिलेगा जो वह अवकाश पर जाने से ठीक पूर्व ले रही थी। यह लाभ ऐसी महिला को उपलब्ध नहीं होगा जिसके दो बच्चे गोद लेते समय जीवित हों।

● नाबालिग के बलात्कार के मामलों का मुकदमा खुली अदालत में नहीं होगा : उच्च न्यायालय

दिल्ली उच्च न्यायालय ने नाबालिगों के बलात्कार के मामलों का मुकदमा खुली अदालतों में चलाए जाने की कठोर आलोचना करते हुए कहा है कि उनके बयानों को दर्ज करते समय उन्हें अपने अभिभावकों की उपस्थिति में सौहार्दपूर्ण वातावरण प्रदान किया जाना चाहिए।

उच्च न्यायालय ने कहा कि "बलात्कार पीड़ित बच्ची को इस आधार पर अपने माता-पिता/अभिभावक से अलग नहीं किया जायेगा कि बयान-दर्जी स्वैच्छिक रूप से होनी चाहिए। बालिगों के लिए स्थापित संस्था में किसी बच्चे को नहीं रोका जाना चाहिए।" ये विचार उच्च न्यायालय ने एक बलात्कार आरोपी की 7 वर्ष की सज़ा रद्द करते समय व्यक्त किए। न्यायाधीश ने कहा कि मजिस्ट्रेट द्वारा सुनवाई की प्रक्रिया में असावधानी के परिणामस्वरूप पीड़िता द्वारा घटना स्थल के बारे में दिए गये बयानों में विरोधाभास था।

● एसिड आक्रमण के मामलों के लिए भारतीय दंड संहिता के वर्तमान प्रावधान पर्याप्त

केन्द्र सरकार ने उच्चतम न्यायालय के समक्ष यह स्पष्ट कर दिया है कि भारतीय दण्ड प्रक्रिया में जो प्रावधान गंभीर चोट, स्वेच्छा से गंभीर चोट पहुंचाने के बारे में मौजूद हैं वे एसिड आक्रमण के अभिशाप से बरतने के लिए पर्याप्त हैं और इसे कोई अलग अपराध बनाए जाने की आवश्यकता नहीं है।

● बलात्कार के मामलों के लिए त्वरित न्यायालय

बलात्कार के झूठे मामले दर्ज कराने और मुआवजे के लिए उनका राजनीतिकरण करने पर पाबंदी लगाने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार ने निर्णय लिया है कि बलात्कार पीड़ित को दिया जाने वाला पैसा मामलों की सुनवाई करने वाले त्वरित न्यायालयों द्वारा वितरित किया जायेगा।

● बेटे द्वारा घर छोड़ने पर भी बहू को नहीं निकाला जा सकता

दिल्ली उच्च न्यायालय ने यह निर्णय देते हुए कि किसी विवाहित महिला का पति यदि घर छोड़ कर चला गया हो और अलग रह रहा हो तो भी उस महिला को उसके ससुरालियों द्वारा घर से निकाला नहीं जा सकता और न ही वे उसे वहां रहने का किराया मांग सकते हैं, मुकदमा न्यायालय का एक निर्णय रद्द कर दिया।

उच्च न्यायालय ने कहा कि "किसी घर विशेष को पत्नी का ससुराल कहने के लिए यह आवश्यक नहीं है कि पति और पत्नी दोनों वहां रह रहे हों" और पत्नी की याचिका स्वीकार कर ली जिसे मुकदमा न्यायालय ने विवादित 'संयुक्त हिन्दू परिवार' में दो बच्चों सहित रहने के लिए, उसके पति के दूसरी जगह चले जाने पर, ससुरालियों द्वारा किराया देने को कहा गया था।

अग्रेतर सूचना के लिए देखिए हमारा वेबसाइट :
www.ncw.nic.in

राष्ट्रीय महिला आयोग, 4, दीन दयाल उपाध्याय मार्ग, नई दिल्ली-110002 द्वारा प्रकाशित। सम्पादक : गौरी सेन। आकांक्षा इम्प्रेशन, 18/36, गली नं. 5, रेलवे लाइन साईड, आनंद पर्वत इंडस्ट्रियल एरिया, न्यू रोहतक रोड, नई दिल्ली-5 द्वारा मुद्रित।